लघुवनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र एम.एफ.पी. पार्क, भोपाल

परिचय

VINDHYA HERBALS

Health from nature's wild wealth

परिचय

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 95,000 वर्ग कि.मी. है, तथा इस क्षेत्र में लगभग 25 हजार वानस्पतिक प्रजातियाँ जिनमें 22,00 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजातियाँ भी शामिल है, पाई जाती हैं। प्रदेश में लगभग 200 औषधीय प्रजातियाँ व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वनों में पाई जाने वाली विभिन्न वनोपजों पर प्रदेश की जनजातियाँ अपनी खाद्य-सुरक्षा, स्वास्थ चिकित्सा एवं आजीविका के लिए निर्भर है। वनौषधियों का संग्रहण एवं प्रसंस्करण ग्रामीण क्षेत्रों में वनों पर निर्भर लोगों की आजीविका का आधार है। सामाजिक अनुसंधानों के अनुसार 30 से 40: ग्रामीण आबादी की आर्थिक निर्भरता लघु वनोपजों पर आधारित है। 70 के दशक में यह पाया गया कि यह क्षेत्र प्रबंधन की दृष्टि से असंगठित है, तथा वनों से विशेष लघु वनोपजों के विलुप्त होने एवं उनके पुनर्स्थापना की नीतियों के अभाव के कारण विदोहन के साथ-साथ उनके सरंक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता थी । राज्य शासन द्वारा वर्ष 1964 में तेंदूपत्ता के व्यापार से संबधित अधिनियम लाया गया इस अधिनियम के माध्यम से वनवासियों एवं संग्रहकर्ताओं को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ एवं रोजगार प्रदाय करने तथा इसके व्यापार एवं प्रबंधन हेतु 1984 में म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ को एक सहकारी उपक्रम के रुप में राष्ट्रीयकृत वनोपजों के व्यापार के प्रबंधन एवं सहकारी समितियों के माध्यम से संग्रहण कार्य कराने तथा उन्हें उचित पारिश्रमिक दिलाने के उद्देश्यों से एक पृथक संस्था के रुप में स्थापना की गई। वर्ष 1988 में मैदानी क्षेत्रों में लघु वनोपजों के प्रबंधन एवं कार्यो के कियान्वयन हेतु सहकारी समितियों को इसमें सम्मिलित किया गया तथा एक त्रि-स्तरीय व्यवस्था की शुरुआत की गई।

प्रदेश में लघु वनोपजों के बेहतर प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ कार्यरत है। लघु वनोपज संघ, प्रदेश के वनांचलों में गठित 1066 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों तथा 61 जिला सहकारी वनोपज यूनियनों की शीर्ष संस्था है, तथा इन संस्थाओं के माध्यम से लघु वनोपजों के व्यापार, प्रसंस्करण एवं विपणन इत्यादि का कार्य करता है। तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य वास्तविक संग्राहकों के माध्यम से प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न 15,000 संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से कराया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ भोपाल, मध्यप्रदेश शासन के प्रतिनिधि के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश में प्राकृतिक उपलब्ध लघुवनोपजों के संग्रहण एवं विपणन का कार्य करता है। इसके वाणिज्यिक परिप्रेक्ष्य में म.प्र.शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार से अर्जित समस्त शुद्ध आय भी इस प्रदेश के वास्तविक वनोपज संग्राहकों को हस्तांतरित कर दी जाती है। संघ को व्यापार से होने वाली समस्त आय 3 घटकों में विभाजित की जाती है, कुल लाभांस प्राप्तियों का 70 प्रतिशत तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि के रुप में प्रदाय की जाती है, 15 प्रतिशत राशि संबंधित क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास हेतु तथा शेष 15 प्रतिशत राशि वनीय संसाधनों के विकास हेतु व्यय की जाती है।

शासन की मंशा एवं नीतियों के उद्देश्यों को लेकर राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रसंस्करण कार्यो को विस्तारित करने का कार्य बृहद स्तर पर किया गया है जिसके परिणाम स्वरुप प्रदेश में कई क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की गई है, उन्ही में से एक इकाई लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेडा पठानी है, जो कि भोपाल में स्थित है।

प्रस्तावना

प्रदेश की 30 प्रतिशत आबादी वनों पर सीधे तौर पर आजीविका एंव अन्य आवश्यकताओं के लिए निर्भर है, तथा वनों के आसपास निवासरत है। प्रदेश की सम्पन्न जैवविधिता एवं उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए आजीविकाएं उपलब्ध कराने के अधिकतम अवसर यहां पर उपलब्ध है, तथा क्षमताएं विद्यमान है।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर इनके उपयोग एवं आवश्यकताओं के कारण ये संसाधन दबाब की स्थिति में है । कई प्रकार के वन उत्पाद दुर्लभ तथा संकटापन्न स्थिति में पहुंच गए है, तथा विलुप्त होने की कगार पर है।

इस तरह के उत्पादों के मूल्य संवर्धन, संरक्षण तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से इन पर आश्रित लोगों को अंशधारक बनाने की आवश्यकता पर कार्य करने की जरुरत है।

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र,एम.एफ.पी.-पार्क

उपरोक्त वर्णित स्थिति एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेडा पठानी जोकि एक बृहद औषधीय एवं हर्बल प्रसंस्करण केन्द्र है, की स्थापना मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्व ारा स्थापित इकाई के रुप में की गई। लघु वनोपज संघ द्व ारा विभिन्न प्रयासों से सरकारी एवं गैर-सरकारी विभागों के सामंजस्य द्वारा लघु वनोपजों के विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इस केन्द्र की स्थापना सफलता पूर्वक भोपाल में वर्ष 2004-05 में की गई है।

मध्यप्रदेश वनों का प्रबंधन करने वाला देश का अग्रणी राज्य है, जहां देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र विद्यमान है। ये वन प्राकृतिक विविधिता से परिपूर्ण तो हैं ही, साथ ही इनमें लघुवनोपजों की प्रचुरता आजीविका का बृहद स्त्रोत है। इस केन्द्र को जीएमपी एवं आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र गुणवत्ता प्रबंधन हेतु एवं पर्यावरण ीय प्रबंधन हेतु म्डै.14001रू2004 प्रमाण पत्र प्राप्त हुए है।

इस इकाई को मध्य प्रदेश शासन के संरक्षण के साथ-साथ भारत शासन के आयुष विभाग द्वारा देश के 8 मान्यता प्राप्त शासकीय/ सहकारी संस्थानों में अधिसूचित किया गया है।

इस केन्द्र की स्थापना का समग्र उददेश्य लघु वनोपजों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन कर आयुर्वेदिक एवं हर्बल उत्पादों

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र,एम.एफ.पी.-पार्क

का निर्माण करना हैं, जोकि प्रसंस्करण के संबंध में गुणवत्ता युक्त, वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा व्यवसायिक तरीके के पद्धतियों के विकास पर आधारित है। वनीय लघु वनोपजों के संरक्षण, संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं मूल्य संवर्धन पर कार्य किए जाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस कार्य से जुड़े लोगों की क्षमताओं के विकास, प्रशिक्षण तथा विपणन आधारित एक तंत्र की स्थापना इस केन्द्र के रुप में की गई। इस केन्द्र द्वारा वनों पर निर्भर समुदाय की आजीविका स्त्रोतों को बढ़ावा देने का कार्य लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं उनके विपणन के माध्यम से किया जाता है।

स्थान

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेडा पठानी भोपाल में भेल टाउनशिप के अन्तर्गत स्थित है, जोकि प्राकृतिक परिवेश युक्त हरित आच्छादित क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल 11 एकड़ है। यह केन्द्र सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा हवाई मार्ग के नेटवर्क से व्यवस्थित तौर पर हर्बल क्षेत्र की अभिरुचियों से जुड़ा है।

स्त्रोत संचालन

इस केन्द्र की स्थापना के अनुभवों का आधार कठिन प्रयासों का रहा है, तथा स्थापना के पीछे विभिन्न शासकीय एवं गैर-शासकीय संस्थाओं के वित्तीय एवं तकनीकी मार्गदर्शन से यह प्रयास संभव हो सका है। लघु वनोपज संघ द्वारा इस चुनौती पूर्ण कार्य को लिया गया तथा उसे एक परियोजना के रुप में सफलता पूर्वक क्रियान्वित किया गया। समय-समय पर केन्द्र की सुविधाओं के उन्नयन एवं अधोसरंचना विकास के लिए भारत शासन, राज्य शासन की संस्थाओं जैसे- राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष विभाग, यूएनडीपी, आदिम जाति कल्याण विभाग, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा वित्तीय सहायता एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है।

अधोसंरचनाएं

उत्पादन कार्यो हेतु केन्द्र में हर्बल शाखा, केप्सूल एवं वटी शाखा, चूर्ण शाखा, आसव एवं तेल शाखा, आइन्मेंट शाखा के साथ-साथ शहद प्रसंस्करण शाखा की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा कच्चे हर्बल माल हेतु भंडारण, पैकेजिंग, लेबलिंग का कार्य भी अन्य शाखाओं के माध्यम से किया जाता है। केन्द्र में उन्नत प्रशिक्षण की व्यवस्था, पशु उपचार श्रृंखला उत्पादों हेतु पृथक से प्रसंस्करण शाखा, शीत भंडार गृह, तथा निर्मित उत्पादों के भंडारण की व्यवस्था हेतु उचित संरचनाएं विद्यमान हैं। नवीन प्रयोगशाला भवन तथा श्रीधरियम नेत्र चिकित्सालय की सुविधाएं इस केन्द्र में विकसित की गई हैं।

मानव संसाधन

इस केन्द्र में म.प्र.शासन वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भारतीय वन सेवा एवं राज्य सेवा अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं। भारतीय वन सेवा अधिकारी, केन्द्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रुप में पदस्थ हैं। इसके अलावा संविदा एवं दैनिक श्रमिक है, जोकि विभिन्न शाखाओं में कार्यरत है। केन्द्र में मानव संसाधनों का नियोजन इस प्रकार से किया जा सके।

अनुसंधान एवं विकास

गुणवत्ता आधारित नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित पहुंच का होना अति-आवश्यक है। हर्बल कार्यक्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की व्यापक संभवनाएं हैं। औषधीय पौधों की पहचान से लेकर उनके रसायनिक संघटनों की जानकारी वैज्ञानिक प्रक्रिया से

ही प्राप्त हो सकती है । प्रयोगशाला में प्रमुख रुप से 3 प्रभागों की स्थापना की गई है, ताकि वानस्पतिक शाखा, एनालिटिकल रसायन एवं सूक्ष्मजीव शाखाओं के माध्यम से वैज्ञानिक परीक्षणों एवं गुणवत्ता परीक्षणों को सुनिश्चित किया जा सके। केन्द्र की आंतरिक प्रयोगशाला, गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के क्रियान्वयन की आधार इकाई है, जहां पर अनुभवी वैज्ञानिकों की सेवाएं ली जा रही है। कच्चे माल, शहद, कीटनाशकों, भारी धातुओं एवं निर्मित उत्पादों के गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था यहां पर उपलब्ध है। इस प्रयोगशाला में उन्नत प्रक्रियाओं पर आधारित अत्याधुनिक मशीनों एवं उपकरणों का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला का उन्नयन आयुष विभाग, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से किया गया है । हर्बल परीक्षण प्रयोगशाला में मापदंडों का मानकीकरण, उनके भौतिक एवं रसायनिक परीक्षण, सूक्ष्मजीवी परीक्षण, पौधों की विविधता एवं नामकरण, हरबेरियम निर्माण के अलावा नए उत्पादों के विकास का कार्य भी किया जाता है । इस प्रयोगशाला में समय-समय पर महाविद्यालीन एवं विद्यालीन छात्र-छात्राओं हेतु संबंधित विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । भविष्य में अनुसंधान एवं विकास, आयुर्वेदिक कार्यो के समान्तर क्षेत्रों में कार्यरत संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर नए कार्य क्षेत्रों की पहचान की जा रही है, तथा और बेहतर तरीके से इस क्षेत्र को विस्तारित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अनुसंधान एवं विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकें । प्रयोगशाला में हर्बल उत्पादों के परीक्षण की सुविधा आम जनों हेतु उपलब्ध कराई जाती है।

औषधियों का मानकीकरण एवं अनुसंधान कार्यक्रम

औषधियों का मानकीकरण अनुसंधान की सत्त्त प्रक्रिया है, हर्बल कच्चे उत्पादों, औषधीय पौधों एवं शहद के निर्धारित मानकों पर परीक्षण का कार्य किया जाता है। अनुसंधान कार्यो को समय एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर अद्यतन रखना इस उन्नत प्रयोगशाला के माध्यम से किया जा रहा है। केन्द्र में उन्नत प्रयोगशाला तथा उच्च तकनीक पर आधारित उपकरण, मशीनरी उपलब्ध है । इन सुविधाओं का और अधिक बेहतर उपयोग करना एवं इस क्षेत्र को और अधिक विस्तारित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है ।

आधुनिक प्रयोगशाला की समबद्धता

इस केन्द्र में स्थापित अत्याधुनिक प्रयोगशाला को आयुष विभाग एवं NABL भारत शासन को आवेदन कर समबद्धता (Accreditation) प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

शहद प्रसंस्करण शहद शाखा

इस शाखा में एक बार में 100 किलो शहद के प्रसंस्करण

की सुविधा उपलब्ध है, जोकि केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान केन्द्र, पुणे के सहयोग से विकसित की गई है। यहां पर स्टेनर, लिक्वइफायर, स्टोरेज टैंक, फिलिंग डिस्पेन्सर, पराबैंगनी उपचार तंत्र इत्यादि की आधुनिक प्रसंस्करण सुविधा उपलब्ध हैं। इस प्रसंस्करण इकाई में वार्षिक तौर पर 60 टन शहद प्रसंस्करण की क्षमता उपलब्ध है, जहां केवल वनीय स्त्रोतों से संग्रहित प्राकृतिक शहद का प्रसंस्करण किया जाता है। मध्यप्रदेश में रॉक हनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जिसका संग्रहण प्रशिक्षित संग्राहकों के माध्यम से किया जाता हैं तथा इसके लिए प्रभावी नेटवर्क का विकास किया गया है।

हर्बल प्रसंस्करण प्रभाग

केन्द्र की विभिन्न उत्पादन शाखाओं के माध्यम से उत्पादन से संबधित गुणवत्ता युक्त मानकों के परिपालन हेतु केन्द्र में आयुष विभाग द्वारा अनुशंसित आयुर्वेदिक पाठ्यक्रमों से शिक्षित वैद्यों/ डाक्टर्स की देखरेख में औषधियों का निर्माण किया जाता हैं । कच्चे माल के प्रसंस्करण से लेकर अंतिम उत्पाद तैयार होने तक की प्रक्रिया इन वैद्यों/ डाक्टर्स की देखरेख में संचालित की जाती है। औषधियों को तैयार करने हेतु उपलब्ध आयुर्वेदिक फार्मोकोपिया ऑफ इंडिया, शास्त्रोक्त एवं पेटेन्ट अनुशंसाओं पर कार्य किया जाता है ।

गुणवत्ता मानकों जैसे जीएमपी, गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र आईएसओं एवं पर्यावरणीय प्रबंधन की गाइडलाइन पर आधारित 350 प्रकार की पेटेन्टेड एवं शास्त्रोक्त औषधियों का प्रसंस्करण किया जाता है। प्रसंस्करण हेतु कच्चे माल की आपूर्ति प्राथमिक लघु वनोपज समितियों, वन प्रबंधन समितियों एवं कृषकों के माध्यम से की जाती है। इस केन्द्र में लगभग 300 टन कच्चे माल की वार्षिक खपत का आंकलन किया गया है।

भंडारण

केन्द्र में भंडारण हेतु जीएमपी (उचित भंडारण प्रकियाओं) का अनुपालन किया जाता है, भंडारण की उचित एवं पर्याप्त सुविध ााएं केन्द्र परिसर में उपलब्ध है। परिसर में 400 टन सामग्री को भंडारित करने की क्षमताएं है। इन सुविधाओं के विकास हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय तथा लघु वनोपज संघ के माध्यम से वित्तीय सहयोग प्राप्त कर भंडारण क्षमताओं का उन्नयन किया गया है।

सौर ऊर्जा सयंत्र

केन्द्र में 100 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा सयंत्र की स्थापना की जाकर विद्युत उपभोग को सौर ऊर्जा सयंत्र के माध्यम से कम किया गया है।

विन्ध्य हर्बल उत्पादों की विशेषताएं

राज्य की सफलतम सहकारी संस्था के उत्पाद।

अधिकांश उत्पादों की प्रकृति प्राकृतिक रुप से जैविक है।

कच्चे माल एवं औषधियों का गुणवत्ता परीक्षण केन्द्र की प्रयोगशाला में किया जाता है।

कच्चे माल की आपूर्ति वन क्षेत्रों से एवं ग्रामीण स्त्रोतों से प्राथमिक लघु वनोपज समितियों द्वारा।

जीएमपी एवं आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र गुणवत्ता प्रबंधन एवं पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु EMS-14001:2004 प्रमाणित इकाई।

औषधीय एवं सुगन्धित पौधों के संग्राहकों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता हैं।

राजस्व प्राप्तियों को लाभांस के रुप में प्राथमिक संग्राहको तक वापिस प्रदान करना।

इस केन्द्र द्वारा 6 लघुवनोपजों का वनीय स्त्रोत जैविक प्रमाणीकरण एवं इनसे 9 उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन के जैविक प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए है। जैविक प्रमाणीकृत उत्पाद बाजार में उतारे गए है।

नवीन उत्पादों का निर्माण

इस केन्द्र द्वारा नवीन उत्पादों के अन्तर्गत जिसमें, विन्ध्य हर्बल ग्रोविट प्लस ग्रेन्युल्स, केशतेल, हर्बल एंटीऐजिंग क्रीम, टूथपेस्ट एवं हर्बल ग्रीन चाय का प्रसंस्करण किया गया है।

प्रशिक्षण एवं हर्बल जागरुकता

इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितो को देखते हुए परम्परागत चिकित्सा प्रणाली एवं हर्बल उत्पादों के उपयोग, औषधीय पौधों के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, उनकी खपत आदि विषयों पर वानस्पतिक क्षेत्रों में कार्यरत छात्र- छात्राओं, अनुसंधानकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रमों का निरंतर आयोजन किया जाता है।

क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, कार्यशाला, सेमीनार, वाद-विवाद इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से जन-जन तक हर्बल जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

विपणन

खुदरा विपणन

मध्यप्रदेश में "संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र" खुदरा विपणन के माध्यम से विन्ध्य हर्बल उत्पादों को आम जनों तक उपलब्ध कराया जाता है। यह संजीवनी केन्द्र विशेष प्रकार के विक्रय केन्द्र है जिनका नियंत्रण स्थानीय वनविभाग के अधीन होता है। इन केन्द्रों में परम्परागत एवं योग्य आयुर्वेदिक डाक्टर्स का निशुल्क परामर्श प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र का राजस्व मुख्यतया विभिन्न प्रदेश सरकारों से प्राप्त शासकीय आदेशों की आपूर्ति पर निर्भर करता है। इस कारण से विभिन्न वर्षो में प्राप्त होने वाले राजस्व में स्थिरता नही है। अतः इस वर्ष से खुदरा विपणन को बढ़ाने की दशा में निम्नानुसार प्रयास आरंभ किए गए है-

- नवीन बहुउद्देशीय आनलाइन शापिंग बेवसाइट (www.vindhyaherbalstore.com) आरंभ की गई है।
- www.franchiseindia.com पर पंजीयन कराया गया जिसके फलस्वरुप 8 फ्रेंचायची को नियुक्त किया गया है।
- टी.व्ही के विभिन्न आंचलिक एवं राष्ट्रीय चैनल्स, FM Radio एवं देश के प्रमुख शहरों के सिनेमाघरों में विज्ञापन का प्रसारण किया जा रहा है।
- देश में मैसूर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश एवं बिहार हेतु C&F Agents नियुक्त।
- प्रदेश के भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर में C&F Agents की नियुक्ति की गई है।
- प्रदेश में स्थापित 25 संजीवनी केन्द्रों को सीधे उत्पाद आपूर्ति की व्यवस्था ।
- भोपाल में 95 सांची पार्लरों के माध्यम से व्ब्ब उत्पादों का विपणन किया जा रहा है।
- चूर्ण उत्पादों को केप्सूल (पेटेन्ट) फार्म में में परिवर्तित किया गया है।
- कास्मेटिक्स उत्पादों-शैम्पू, फेसक्रीम/फेसवाश का निर्माण प्रगति पर।
- Food supplements उत्पाद जैसे- ग्रोविट प्लस का निर्माण किया गया है।
- मार्केटिंग एक्सीक्युटिव्स के द्वारा डाक्टर्स/सीएंडएफ/वितरकों से सतत् सम्पर्क एवं फीडबैक/फालोअप पर प्रभावी कार्य किया जा रहा है।

आनलाइन मार्केटिंग

विन्ध्य हर्बल उत्पादों की आनलाइन मार्केटिंग की बेहतर एवं प्रभावी शुरुआत की गई है। इस हेतु आकर्षक प्रस्तुतीकरण के माध्यम के साथ नवीन बहुउद्देशीय आनलाइन बेबसाइट तैयार की गई है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे उत्पाद पंहुच सके।

फ्रेंचायची

इसके माध्यम से विन्ध्य हर्बल उत्पादों के अधिक से अधिक विपणन की संभावनाएं है, तथा उत्पाद आमजनों तक सरलता से पंहुचाए जा सकते है। इस हेतु फ्रेंचायची इंडिया की बेवसाइट पर विन्ध्य हर्बल को प्रचारित किया जा रहा है, इस क्षेत्र में इच्छुक लोगों द्वारा फ्रेंचायची लेने के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

मार्डन ट्रेड/आधुनिक व्यापार

वर्तमान आधुनिक परिवेश में उपभोक्ताओं द्वारा बिग बाजार, वॉलमार्ट, हायपरसिटी, स्पेंसर, रिलायंस मार्केट, आपूर्ति शॉपिंग मॉल्स इत्यादि का उपयोग देश एवं प्रदेश के महानगरों में वृहद स्तर पर किया जा रहा है। उक्त सेवाप्रदाताओं की वृहद एवं विस्तृत नेटवर्किंग उपलब्ध है, जिसका उपयोग कर उत्पादों को इन शॉपिंग मॉल्स में उपलब्ध कराए जाने हेतु इनसे सम्पर्क किया जा रहा है। हाल ही में भोपाल के डीबी मॉल में हमारे उत्पादों के विपणन हेतु एक 48 वर्गफीट क्षेत्रफल का कियोस्क खोला गया है।

शासकीय आपूर्ति

वर्ष 2008 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष विभाग द्वारा केन्द्रीय मद से, देश के समस्त राज्यों द्वारा क्रय की जाने वाले औषधियों हेतु एक प्रपत्र जारी किया था, इसके अनुसार देश की 8 औषधि निर्माता संस्थाओं को अधिसूचित किया गया इस सूची में म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ को भी सम्मिलित किया गया है । देश के प्रत्येक राज्यों को आयुष औषधियों की क्रय प्रक्रिया में उक्त 8 संस्थाओं के मध्य निविदाएं जारी कर आपूर्ति आदेश प्रदाय किए जाते हैं। संबंधित राज्यों द्वारा समय-समय पर निविदाएं जारी की जाती है, इन निविदाओं एवं आपूर्ति हेतु इस केन्द्र द्वारा भाग लिया जाता है। सफल निविदाकार होने की स्थिति में क्रय एवं आपूर्ति आदेश इस संस्था को प्रदाय किया जाता है । इस केन्द्र द्वारा पूरे देश के लिए नियुक्त 1 ही संस्थागत अभिकर्ता के कारण विगत वर्षो में

राजस्व प्राप्ति में उतार-चढ़ाव होता रहा है, इसका मुख्य कारण यह है कि मात्र 1 व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण देश के आयुष विभागों से निरंतर संपर्क स्थापित रखते हुए इस केन्द्र के लिए आपूर्ति आदेश प्राप्त कर पाना संभव नही हो पाता। अतः इस समस्या के समाधान हेतु केन्द्र द्वारा 4 संस्थागत अभिकर्ता नियुक्त किए गए है।

इस केन्द्र द्वारा मध्यप्रदेश आयुष विभाग के अलावा आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, केरल, पांडुचेरी, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र दिल्ली, अंडमान निकोबार, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड राज्यों को शासकीय आपूर्ति की गई है।

वित्तीय प्रावधान

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अपने संचालक मंडल की वार्षिक आमसभा में इस केन्द्र हेतु बजट का अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान करता है, अनुमोदित बजट के अनुरुप आवश्यकतानुसार संघ द्वारा राशि आवंटित की जाती है। इस केन्द्र हेतु बजट का प्रावधान 18-20 करोड़ रुपए के आसपास होता है।

राजस्व प्राप्तियां

इस केन्द्र द्वारा वार्षिक तौर पर राजस्व प्राप्तियों में विविधतापूर्ण आकड़े प्रदर्शित होते है, जिनका प्रमुख कारण प्रत्येक वर्ष शासकीय आपूर्ति आदेशों की प्राप्ति में स्थिरता न होना है तथा से सीधे तौर पर है, इस कारण से राजस्व प्राप्तियों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। वर्ष 2012-13 में रिकार्ड राजस्व 23.55 करोड़ के आसपास रहा, जबकि वर्ष 2013-2014 में 11 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हो सकी। इस केन्द्र ने अपनी स्थापना के बाद से ही प्रभावशाली उपलब्धियां अर्जित की है, तथा कारोबार में उत्तरोत्तर वृद्धि के नए आयाम स्थापित किए है।

राजस्व राशि करोड़ रुपये में

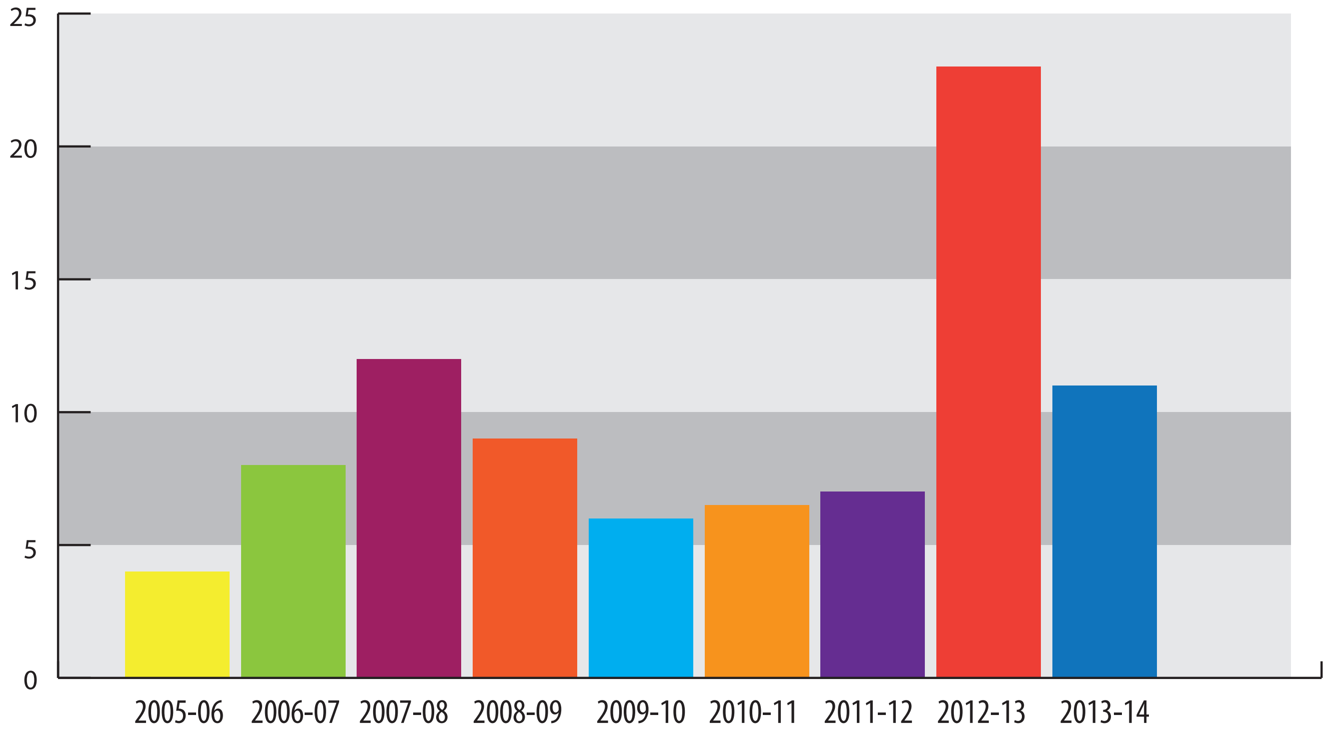

मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या.
खेल परिसर, इंदिरा निकुंज, 74 बंगले, भोपाल -462003
फोन : 0755-2674202, फैक्स : 2552628
ईमेल : **mdmfpfed@sancharnet.in**

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम .एफ. पी. पार्क.
वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल -462021
फोन : 0755-2970629, फैक्स : 2970629
ईमेल : **mfpparc@gmail.com**

for online shopping of our products, please visit : **www.vindhyaherbalstore.com**